



दूरभाष - 05278.245967  
फैक्स - 05278.245125

E-Mail ID : rmlu@ramlhia@gmail.com  
Website : www.rmlu.ac.in

## राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि०/रा०से०यो०/2199/2020

दिनांक : 17, अक्टूबर, 2020  
(अति आवश्यक)

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/कार्यक्रमाधिकारी,  
राष्ट्रीय सेवा योजना,  
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।

**विषय:-** महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में मिशन शक्ति संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय/महोदया,**

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-5120/सत्तर-3-2020-08(51)/2020, दिनांक 15.10.2020 के क्रम में संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज द्वारा निर्गत पत्र संख्या-डिग्री विकास/911/2020-21, दिनांक 16.10.2020 (संलग्न) में आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा तथा पोक्सो एक्ट महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों का वृहद् प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष अभियान संचालित किये जाने तथा व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

तदक्रम में संलग्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन की वांछित सूचना (संलग्न एक्सल शीट जिसमें वांछित प्रारूप के अनुसार पृथक-पृथक वर्कशीट दी गयी है, मंगल फांट में भरकर) निदेशालय की ई-मेल आई०डी० dhemissionshakti@gmail.com एवं विश्वविद्यालय की मेल आई०डी० registrarrmlfz@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें।


**संलग्नक:-** यथोपरि।

मवदीय

  
कुलसचिव/कार्यक्रम समन्वयक

**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग रा०से०यो०प्र०, विधान भवन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा०से०यो० क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाट नम्बर-1, सेक्टर-एच०, अलीगंज, लखनऊ।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित करने वाले महाविद्यालयों की लॉग-इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. आशुतिथिक, वित्त अधिकारी।
6. पत्रावली।

  
कुलसचिव/कार्यक्रम समन्वयक

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)  
डिग्री विकास अनुभाग  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

सेवा में,

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 911 /2020-21 दिनांक- 16 / 10 /2020  
विषय:- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिये सम्पूर्ण प्रदेश में "मिशन शक्ति"  
संचालित किये जाने के सम्बन्ध में ।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 5120/सत्तर-3-2020-08(51)/ 2020 दिनांक- 15 अक्टूबर,  
2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिये सम्पूर्ण  
प्रदेश में "मिशन शक्ति" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में है ।

अवगत कराना है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु  
दिनांक- 17.10.2020 से 25.10.2020 तक महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एवं आत्म  
सुरक्षा तथा पोक्सो एक्ट महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों का वृहद् प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष अभियान  
संचालित किये जाने तथा व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान  
हेतु संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं बासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने के निर्देश  
प्राप्त हुए हैं ।


अतः संलग्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन की वांछित  
सूचना (संलग्न एक्सल शीट जिसमें वांछित प्रारूप के अनुसार पृथक-पृथक वर्कशीट दी गयी है मंगल फांट  
में भरकर) संकलित करते हुए निदेशालय की ई-मेल आईडी [dhemissionshakti@gmail.com](mailto:dhemissionshakti@gmail.com) पर प्रेषित  
करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तावत।

भवदीय,  
  
डॉ०(राजीव पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक, (उ०शि०)  
कृते-शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)  
① उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या: डिग्री विकास/ 911-13 / उसी तिथि को ।

प्रतिलिपि-प्राचार्य/ प्राचार्या समस्त राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित  
महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर अपने  
सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को प्रतिदिन ससमय उपलब्ध करायेंगे एवं सीधे  
निदेशालय को प्रेषित नहीं करेंगे।

  
डॉ०(राजीव पाण्डेय)  
संयुक्त निदेशक, (उ०शि०)  
कृते-शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)  
① उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

## मिशन शक्ति

उच्च शिक्षा विभाग

प्रारूप-01

महिला सुरक्षा हेतु शिक्षकों के संवेदीकरण एवं अभिमुखीकरण की सूचना:-

दिनांक - 17.10.2020

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्ववित्तपोषित)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	शिक्षक अभिमुखीकरण का विषय जिस पर व्याख्यान दिया गया	विषय विशेषज्ञ का नाम	प्रतिभाग करने वाले प्राध्यापकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- सूचनाएं मंगल फॉट में ही भर कर प्रेषित करें।

## प्रारूप-02

दिनांक-18 एवं 24 अक्टूबर, 2020

लैंगिक समानता, धरोहर शिक्षा से महिलाओं की सुरक्षा पासो एक्ट महिला हेल्पलाइन नं0 एवं अन्य प्रचलित कानूनों की जानकारी हेतु आयोजित वेबिनारों का विवरण :-

क्र.सं0	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/स्वायत्त प्राप्त अशासकीय/ स्वचिंतपोषित)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	वेबिनार का विषय	विषय विशेषज्ञ का नाम	प्रतिभाग करने वाले प्राध्यापकों की संख्या	प्रतिभाग करने वाली छात्राओं की संख्या	प्रतिभाग करने वाले अभिभावकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट:- सूचनाएं भगल फॉर्म में ही भर कर प्रेषित करें।

## प्रारूप-03 A

दिनांक-19-23 अक्टूबर, 2020

समय 10:00 से 10:30 तक

बालिकाओं के शारीरिक स्वास्थ्यवर्धन तथा पोषण के प्रति जागरूकता की जानकारी हेतु आयोजित वेबिनारों का विवरण :-

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त अथवा सकीय/स्वतंत्र/पोषित)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	वेबिनार का विषय	विषय विशेषज्ञ का नाम	प्रतिभाग करने वाली प्राध्यापकों की संख्या	प्रतिभाग करने वाली छात्राओं की संख्या	प्रतिभाग करने वाली अभिभावकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट:- सूचनाएं मंगल कोट में ही भर कर प्रेषित करें।

## प्रारूप-03 B

दिनांक-19 -23 अक्टूबर, 2020

बालिकाओं के शारीरिक स्वास्थ्यवर्धन तथा पोषण के प्रति जागरूकता की जानकारी हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं का विवरण :-

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त अथासकीय/स्वतंत्र/संवित्तपोषित)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	निर्देश/ स्तरीय/ पोस्टर प्रतियोगिताओं का विवरण	प्रतिभाग करने वाली छात्राओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट:- सूचनाएं मंगल फॉर्म में ही भर कर प्रेषित करें।

## प्रारूप-04

दिनांक-17-25 अक्टूबर, 2020

महिला सुरक्षा शापथ की सूचना:-

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महविद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्वतंत्र/शैक्षणिक)	महविद्यालय का नाम	दिनांक	महिला सुरक्षा शापथ लेने वाले छात्रों की संख्या	महिला सुरक्षा शापथ लेने वाले अभिभावकों की संख्या	प्रतिभाग करने वाले प्राध्यापकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- सूचनाएं मंगल फॉर्म में ही भर कर प्रेषित करें।

## प्रारूप-05

दिनांक 17-25 अक्टूबर, 2020

छात्राओं को विधिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श की सूचना-

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त अथवा सकीय/स्वचिंतनोपेक्षित)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	छात्राओं की संख्या जिनके परामर्श प्रदान किया गया	विधिक एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- सूचनाएं मंगल फॉर्म में ही भर कर प्रेषित करें।



## प्रारूप-06

छात्रों को मासल अर्ट के प्रशिक्षण की सूचना:

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय/स्वतंत्रपेक्षित)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	छात्रों की संख्या जिन्हें आनलाइन-प्रशिक्षण प्रदान किया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें भौतिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया	प्रशिक्षक/संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- सूचनाएं मासल फॉर्म में ही भर कर प्रेषित करें।

दिनांक 19-23 अक्टूबर, 2020  
समय सायं 05:00 से 06:00 तक

## प्रारूप-07

दिनांक 24-25 अक्टूबर, 2020

NCC एवं NSS के स्वयं सेवकों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान से सम्बन्धित प्राविधानों एवं योजनाओं के सम्बन्ध में जन जागरूकता कार्यक्रम की सूचना-

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का प्रकार (राज्य/निजी)	विश्वविद्यालय का नाम	प्रतिभाग करने वाले महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/सहायता प्राप्त अथवा राजकीय/स्वयंचालित)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	प्रतिभाग करने वाले एन.सी.सी एवं एन.एस.एस स्वयं सेवकों की संख्या	जन-जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण	अभ्युक्ति
1		3	4	5	6	7	8	9

नोट:- सूचनाएं मंगल फॉर्म में ही भर कर प्रेषित करें।

प्रेषक,

मोनिका एस.वर्ग,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
3. कुलसचिव  
समस्त निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क  
अधिकारी,  
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक,  
उच्च शिक्षा विभाग।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषय:- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिये सम्पूर्ण प्रदेश में "मिशन शक्ति" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु दिनांक 17.10.2020 से 25.10.2020 तक महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता, सम्मान एवं आत्म सुरक्षा तथा पोक्सी एक्ट एवं महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों का वृहद प्रचार-प्रसार के लिये एक विशेष अभियान संचालित किए जाने के निदेश प्राप्त हुए हैं तथा तदुपरान्त व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित अभियान को शारदीय नवरात्र एवं बसन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने के निदेश प्राप्त हुये हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,  
  
( मोनिका एस. वर्ग )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5120 (1)/सत्तर-3-2020, तददिनांक:

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. श्री राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद का इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री राजीव पाण्डेय, संयुक्त निदेशक तथा श्री अशुमाली शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक से सम्पर्क करके प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करके उपलब्ध कराये।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6. श्री अभिषेक सिंह, सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।

आज्ञा से

( योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी )  
विशेष सचिव।

**उच्च शिक्षा विभाग  
मिशन शक्ति कार्ययोजना**

**1- शारदीय नवरात्र दिनांक 17-25 अक्टूबर हेतु कार्यक्रम**

**दिनांक 17.10.2020- अपराह्न 3 से 5 बजे**

**उच्च शिक्षा विभाग से मिशन शक्ति का मेगा लान्च**

- हर विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के साथ वेबिनार आयोजित करके मिशन शक्ति उद्देश्यों एवं रूपरेखा की जानकारी उन्हें दी जायेगी। विशेष अभियान के माध्यम से छात्रों व अध्यापकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम एवं बाल मनोविज्ञान के संबंध में समझ विकसित किये जाने से संबंधित विषयों पर चर्चा की जायेगी।
- विषय विशेषज्ञों के सहयोग से शिक्षकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा। विधि विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से साइबर सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, प्राक्सो एक्ट, महिला हेल्पलाइन 1090, 108, 102, 112, 181, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी एवं अन्य प्रचलित कानूनों के संबंध में जानकारी दी जायेगी।
- अभियान के दौरान NSS एवं NCC का सहयोग किस प्रकार लिया जाये, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जायेगी।
- इस सत्र में सभी प्राध्यापकों जोकि अभिभावक भी हैं, द्वारा 'बालिका सुरक्षा शपथ' ली जायेगी, जिसका प्रारूप सलग्न किया जा रहा है। (सलग्नक-1)
- साथ ही महाविद्यालयों के शिक्षकों को बताया जायेगा कि वर्ष के दौरान किस प्रकार उन्हें अपनी छात्राओं के साथ परामर्श सत्रों (Counselling sessions) का आयोजन करना चाहिये।

**दिनांक 18 एवं 24 अक्टूबर 2020**

- हर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के साथ उक्त तर्ज पर ही एक घण्टे के वेबिनार आयोजित किये जायेंगे।
- इनमें महिला सुरक्षा एवं महिला सम्मान के प्राविधानों के विषय में जानकारी दी जायेगी।
- छात्रों को बालिका सुरक्षा शपथ दिलाई जायेगी कि ये महिलाओं एवं बालिकाओं का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। शपथ सलग्नक-2 पर है।

- इसी प्रकार अभिभावकों को भी सलग्नक-1 के अनुसार शपथ दिलाई जायेगी कि वे बेटा और बेटों में भेदभाव नहीं करेंगे।

#### दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2020

- हर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रति दिन प्रातः 10 से 10.30 तक बालिकाओं के स्वास्थ्यवर्द्धन एवं पोषण के प्रति जागरूकता, विशेष रूप से कोविड-19 के दृष्टिगत इन्सूलन सिस्टम वर्द्धन हेतु सजग एवं जागरूक करने हेतु वेबिनार, व्याख्यानमालाओं एवं निबन्ध/स्लोगन/पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रत्येक दिन सायं 5 से 6 तक छात्राओं को आपातकाल में आत्मसुरक्षा हेतु प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों/राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी/रोवर रैंजर्स प्रभारी/एन0सी0सी0 प्रभारी का सहयोग लिया जायेगा।
- दिनांक 16 एवं 17 अक्टूबर को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा खूब/यू-ट्यूब के माध्यम से दिया जायेगा। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिनांक 19-23 अक्टूबर के मध्य 10 लाख से अधिक छात्राओं को आत्मसुरक्षा हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जायेगा।

#### दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर, 2020

NCC एवं NSS के स्वयंसेवकों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान से संबंधित प्राध्यानों एवं योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और बालकों को एवं अभिभावकों को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाई जायेगी। NSS, भारत स्काउट एवं गाइड, NCC, युवागण्डल दल, स्कूल व कालेज की छात्र/छात्राओं की प्रतिभागिता एवं उन्हें साइबर सुरक्षा एवं लैंगिक हिंसा की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जायेगा।

दिनांक 17-25 अक्टूबर, 2020 के मध्य संचालित मिशन शक्ति की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध करायी जानी है। निदेशक, उच्च शिक्षा इसके प्रारूप विकसित करके सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को 15 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अथलॉड ई कन्टेंट के प्रारम्भ में 'मिशन शक्ति' के लोगो को प्रदर्शित किया जायेगा एवं बालिका सुरक्षा शपथ भी प्रदर्शित की जायेगी।

## 2- महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु अनवरत अभियान का कार्यक्रम

अभियान को और व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित अभियान को शासकीय नवरात्र एवं वासन्तिक नवरात्र के मध्य निरन्तर जारी रखने एवं बीच-बीच में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं, ताकि अधिकांश जनमानस को जागरूक किया जा सके। इस अभियान को इस रूप में गतिमान रखा जाना है जिससे शासन/प्रशासन के सामान्य कार्यक्रमलाप प्रभावित न हो।

इस अवधि में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हर सोमवार को 'बालिका सुरक्षा शपथ' दिलाना सुनिश्चित करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वास्थ्य/पोषण हेतु प्रचलित विधिक प्राविधानों एवं सरकारी योजनाओं पर धर्ना हेतु आधे घण्टे का सत्र आयोजित करेंगे।

### परामर्श सत्रों (Counselling sessions)

प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्राओं को निरन्तर परामर्श प्रदान करने हेतु व्यवस्था बनाई जायेगी। इस हेतु महिला प्राध्यापकों को नामित किया जायेगा, जो सप्ताह के निर्धारित एक दिन उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे बातचीत करेंगी। इस हेतु यूनीसेफ, NSS कार्सलर्स के साथ-साथ जनपदों में तैनात socio-psycho counselors एवं मनोचिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकता है।

अभियान की प्रगति की समीक्षा हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा प्रारूप विकसित करके 20 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेंगे। इस अवधि की साप्ताहिक समीक्षा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा पक्षिक समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जायेगी और समीक्षा आख्या निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय शासन को हर माह की 1 एवं 16 तारीख को प्रेषित की जायेगी। शासन (अनुभाग-3) द्वारा मासिक प्रगति आख्या मुख्य सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ हर माह की 3 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

### सामान्य निर्देश

1. मिशन शक्ति के पूरे अभियान हेतु निदेशालय स्तर पर डॉ० राजीव पाण्डेय, संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं शासन स्तर पर डॉ० अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्यधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करेंगे तथा उक्त कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेंगे।

3. जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे।
4. मिशन शक्ति के अन्तर्गत समाज में जागरूकता उत्पन्न महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रसार-प्रचार हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कार्ययोजना तैयार करके उसका क्रियान्वयन कराया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपनी गतिविधियों की प्रेस विज्ञापित स्थानीय तथा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेंगे। व्हाट्सअप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया हैंडल पर अभियान का प्रचार प्रसार किया जायेगा। अच्छी सर्वोच्च स्टोरीज एवं आर्टिकल्स का प्रकाशन किया जायेगा।
6. कार्यक्रम से सम्बन्धित डायग्रामेशन, आडियो, वीडियो, क्लैपिंग, फोरटर, फोटोग्राफ एवं आख्या को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी संचालित कर निदेशालय की ई-मेल [dhedegreevikas@gmail.com](mailto:dhedegreevikas@gmail.com) पर उपलब्ध करायेंगे।



## बालिका सुरक्षा शपथ अभिभावकों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में

मैं शपथ लेती/लेता हूँ

कि मैं अपने बेटे और बेटी में

किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगी/करूँगा।

मैं अपने बच्चों को बचपन से ही

जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊँगी/सिखाऊँगा।

और उन्हें सही और गलत का भेद

बताने/बताने

जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को

स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को

कहती/कहता हूँ

उसी प्रकार अपने बेटे को

अनुशासन में रखते हुए

उसकी भी दैनिक गतिविधियों का

पूरा ध्यान रखूँगी/रखूँगा।

जयहिन्द

## बालिका सुरक्षा शपथ

### छात्रों द्वारा

भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में  
मैं शपथ लेता हूँ कि  
सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूँगा  
और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूँगा।  
मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से  
अपने कृत्यों,  
शब्दों  
तथा कर्मों से  
किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा  
का हनन नहीं होने दूँगा।  
मैं शपथ लेता हूँ कि  
मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को  
उनके विकास के लिए  
सम्मान अवसर प्रदान करने में  
अपना पूरा योगदान दूँगा।  
जयहिन्द